

लोक सभा

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

मंगलवार, 6 अगस्त, 2019

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री श्रीपाद येसो नाईक निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्री हरदीप सिंह पुरी एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
(एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चिकित्सकीय उपकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) चिकित्सकीय उपकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2019 जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्री कृष्ण पाल निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाईंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाईंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाईंड, बँगलोर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाईंड, बँगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्री परषोत्तम रूपाला नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2019, जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2525 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 19 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2603(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

श्री नित्यानन्द राय निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग कैडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटॉर्नी जनरल, एडिशनल जज अटॉर्नी जनरल, डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल और जज अटॉर्नी समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 6391(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 31.12.2018 से पुलिस अधीक्षक, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का.आ. 3676(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए तमिलनाडु राज्य के कट्टुपल्ली समद्रीपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3677(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.07.2018 से पुलिस अधीक्षक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) का.आ. 4154(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में

प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए मिजोरम राज्य की जोखावथार भूमि चैक पोस्ट को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का.आ. 4155(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.08.2018 से पुलिस अधीक्षक, चम्फई जिला, मिजोरम की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त के बारे में है।

(छह) का.आ. 5346(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बोल कन्नूर, केरल को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 15.10.2018 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(3) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 6390 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्री कैलाश चौधरी निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नई दिल्ली;
5 अगस्त, 2019

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव